सत्यमेव जयते

न्यायालय सहायक कलेक्टर/उपखण्ड अधिकारी/उपखण्ड मजिस्ट्रेट रेलमगरा, जिला-राजसमंद

प्रकरण : संख्या - 1006/18 प्रा.पत्र शीर्षक मनोहर लाल बनाम रुकमा.

दिनांक	कार्यवाही प्रकरण	हस्ताक्षर/ सूचना नं.
04/09/25	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष अधि. उप. / पक्षकारान अधि. की बहस सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन करने पर जाहिर आया कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण की मौरुसी सम्पत्ति होकर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थीगण का भी अन्य विधिक वारिसान के समान हक अधिकार निहित है. प्रार्थीगण द्वारा अपना हक अधिकार चाहा गया है. किन्तु वादग्रस्त भूमि में हक अधिकारों का निर्धारण मूल वाद में विवाधक बिन्दु कायम कर साक्ष्य एवं सबूतो के आधार किया जाना संभव है. किन्तु दौराने वाद यदि वादग्रस्त भूमि खुर्द बुर्द हो जाती है. अथवा रेकार्ड में परिवर्तन हो जाता है तो पक्षकारान के मध्य अनावश्यक पैचिदगीया एवं मुकदमेबाजी बढने की सम्भावना बनी रहती है. ऐसी स्थिति में सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति तीनो ही बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में होना प्रतीत होता है. अतः- प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम कुरज तहसील रेलमगरा के वादग्रस्त आराजी सं. 560, 561, 562, 563, 564, 565, 567, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, कुल किता 14 कुल रकबा 17-12 बीघा भूमि का विपक्षीगण तामूलवाद फैसला वर्तमान मौका एवं रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखेंगें। इस हेतु विपक्षीगण को पाबन्द किया जाता है।	

सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा